File No: M-03/0009/2015
Government of India
Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises
Department of Public Enterprises
***

Public Enterprises Bhawan
Block No: 14, C.G.O. Complex
Lodhi Road, New Delhi – 110 003.
Dated: 10th May, 2016

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Constitution of Inter-Ministerial Committee (IMC) on MoU as an alternative mechanism to Task Force.

The undersigned is directed to convey the approval of the competent authority for constitution of Inter-Ministerial Committee (IMC) on MoU consisting of following:-

1.	Secretary, DPE	Chairman
2.	Secretary of concerned administrative Ministry/ Department or his representative not below the rank of Joint Secretary.	Member
3.	Secretary, Ministry of Statistics and Programme Implementation or his representative not below the rank of Joint Secretary.	Member
4.	Additional Secretary, NITI Aayog or his representative not below the rank of Joint Secretary.	Member
	Secretary, DPE may co-opt any officer who is a finance expert in case the need is felt.	
	Joint Secretary/ Adviser (MoU), DPE would provide secretarial support to the Committee.	

2. The role of IMC would be to assist the High Power Committee on MoU and Department of Public Enterprises in setting MoU targets of CPSEs and their performance evaluation. IMC would approve the MoU targets and recommend its evaluated score and rating to the High Power Committee (HPC).

3. IMC would also carry out evaluation of MoU 2015-16.

4. The modifications in the guidelines issued earlier for the year 2015-16 and 2016-17 are annexed.

Encl: as above

(M.K. Gupta)
Director (MoU)
Tel : 24360841

To
1. Secretary (Shri Ameising Luikham), DPE.
2. Secretary (Dr. T.C.A. Anant), M/o. Statistics & Programme Implementation.
3. Secretaries to the Government of India of all administrative Ministries/ Departments having CPSEs.
4. Additional Secretary (Shri Y.S. Malik), NITI Aayog.
5. Shri S.K. Goyal, Adviser (MoU), DPE.

Copy to:
1. CEO, NITI Aayog.
2. Additional Secretary (B.Khulbe), PMO
3. PS to Minister, HI&PE.
4. Staff Officer to Cabinet Secretary, Cabinet Secretariat.
5. Chief Executives of all CPSEs.

फा.सं: एम--03/0009/2015
भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
****

लोक उद्योग भवन,
ब्लॉक नं. 14, सी. जी. ओ. काम्प्लैक्स,
लोधी रोड़, नई दिल्ली – 110 003
दिनांक : 10 मई, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- कार्य-बल के वैकल्पिक तंत्र के रूप में समझौता ज्ञापन के अंतर मंत्रालयी समिति ,(आईएमसी) का गठन।

अधोहस्ताक्षरी को समझौता ज्ञापन पर अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) के गठन के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन सूचित करने का निदेश हुआ है जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे।

1.	सचिव, लोक उद्यम विभाग	अध्यक्ष
2.	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का सचिव या उसका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे का न हो	सदस्य
3.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का सचिव या उसका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे का न हो	सदस्य
4.	नीति आयोग का अपर सचिव या उसका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे का न हो	सदस्य
	सचिव, लोक उद्यम विभाग आवश्यकता पड़ने पर किसी वित्त विशेषज्ञ अधिकारी को एक सह-विकल्प के रूप में शामिल कर सकते हैं।	
	संयुक्त सचिव/सलाहकार (एमओयू) लोक उद्यम विभाग इस समिति को सचिवालयी सहायता प्रदान करेंगे।	

2. अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की भूमिका समझौता ज्ञापन पर उच्च अधिकार प्राप्त समिति तथा लोक उद्यम विभाग को केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के समझौता ज्ञापन लक्ष्यों के निर्धारण तथा उनके कार्य-निष्पादन मूल्यांकन में लोक उद्यम विभाग को सहायता प्रदान करने की होगी। अंतर-मंत्रालयी समिति समझौता ज्ञापन लक्ष्यों का अनुमोदन करेगी तथा अपने मूल्यांकित स्कोर एवं रेटिंग की उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) को सिफारिश करेगी।

3. आईएमसी, समझौता ज्ञापन 2015-16 का मूल्यांकन भी करेगी।

4. वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए पहले जारी दिशा-निर्देशों में संशोधन संलग्न है।

संलग्नक: यथोपरि

(एम.के. गुप्ता)
निदेशक (एमओयू)
दूरभाष: 24360841

सेवा में,

1. सचिव (श्री अमेयसिंग लुईखम), लोक उद्यम विभाग
2. सचिव (डॉ. टी.सी.ए. अनंत), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
3. केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के सचिव, भारत सरकार
4. अपर सचिव (श्री वाई.एस. मलिक), नीति आयोग
5. श्री एस.के. गोयल, सलाहकार(एमओयू), लोक उद्यम विभाग

प्रतिलिपि:

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग
2. अपर सचिव(बी.खुलबे), प्रधानमंत्री कार्यालय
3. मंत्री के निजी सचिव, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
4. कैबिनेट सचिव के कर्मचारी अधिकारी, कैबिनेट सचिवालय
5. सभी सीपीएसईज़ के मुख्य कार्यपालक